

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प.12(9)गृह-1/2011-पार्ट

जयपुर, दिनांक 09.09.2016

आज्ञा


राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 62(1) व 66 के प्रावधानों के अनुसार जिला हनुमानगढ हेतु **जिला स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति** का निम्नानुसार गठन किया जाता है:-

- 1- श्री भीम सिंह राघव पुत्र श्री श्याम सिंह राघव, अध्यक्ष
निवासी कमरानी, पुलिस थाना टिब्बी, जिला हनुमानगढ।
- 2- श्री शैलेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामपत वर्मा, निवासी वार्ड 20, सदस्य
नोहर, जिला हनुमानगढ।
- 3- श्री हंसराज पुत्र श्री मनफूल, निवासी डबली राठान, सदस्य
पुलिस थाना सदर, हनुमानगढ।
- 4- श्रीमती दीपिका जैन पत्नी श्री विक्रम जैन, सदस्य
निवासी जैन हॉस्पिटल हनुमानगढ टाउन जिला हनुमानगढ।
- 5- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय), सदस्य सचिव
जिला हनुमानगढ।

राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 68 के प्रावधानों के अनुसार अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 02 वर्ष का होगा।

समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को इस विभाग के आदेश क्रमांक प.18(2)गृह-1/2016 दिनांक 10.06.2016 द्वारा निर्धारित मानदेय एवं सुविधायें देय होगी।

आज्ञा से,




(कैलाश चन्द्र गुप्ता)

वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
- 2- विशिष्ट सहायक, माननीय गृह मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 3- वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
- 4- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह/शासन सचिव, गृह।
- 5- महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
- 6- जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ।
- 7- पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ को प्रेषित कर लेख है कि उक्त समिति के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यगण को अपने स्तर से सूचित करावें।
- 8- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, शासन सचिवालय जयपुर।
- 9- रक्षित पत्रावली।


वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प.12(9)गृह-1/2011

जयपुर, दिनांक 24 NOV 2016

संशोधित आज्ञा

राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 62(1) व 66 के प्रावधानों के अन्तर्गत इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 09.09.2016 द्वारा जिला हनुमानगढ के लिए जिला स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति का गठन किया गया था, जिसके क्रम संख्या 03 पर मनोनीत सदस्य श्री हंसराज पुत्र श्री मनफूल के स्थान पर श्री हंसराज पुत्र श्री ख्याली राम, जाति मेघवाल (कालवा), निवासी वार्ड नं0 6, डबली राठान मौलवी का बास, पुलिस थाना सदर, हनुमानगढ पढा जाने हेतु स्वीकृति जारी की जाती है।


आज्ञा से,


(सुरेन्द्र माहेश्वरी)

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
- 2- विशिष्ट सहायक, माननीय गृह मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 3- वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
- 4- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह/शासन सचिव, गृह।
- 5- महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
- 6- जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ।
- 7- पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ को प्रेषित कर लेख है कि उक्त समिति के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यगण को अपने स्तर से सूचित करावें।
- 8- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, शासन सचिवालय जयपुर।
- 9- रक्षित पत्रावली।


24/11/2016
(कैलाश चन्द्र गुप्ता)

वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस